11/11/14

पत्रावली प्रार्थी पक्ष से जरिये वकील श्री [illegible]
आज्ञा आवेदन मिसल तलबी का पेश होने पर
प्रस्तुत हुई। प्रार्थी/वादी ने आवेदन प्रस्तुत कर
निवेदन किया कि वादी उक्त वाद चलाना
नहीं चाहते हैं वापस लिया जाना चाहते हैं।
वापस लिया जाना (वादी) वादी की पहचान
वकील वादी श्री [illegible] द्वारा
की गई। अतः वादी के निवेदन पर वाद
वादी विड्रा किये जाने के आदेश दिये जाते
हैं। मिसल फैसल शुमार होकर [illegible]
[illegible] हो।